प्रेस नोट, जनपद प्रतापगढ़ दिनांक- 12.11.2026,

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पट्टी के उ0नि0 उमाशंकर सिंह मय हमराह द्वारा मा0 न्यायालय SC/ST (Prevention of Atrocities) Special Court, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी वारण्ट के अनुपालन में सेशन केस संख्या 1364/2022, संबंधित मु0अ0सं0 194/2022, धारा 147/149/323/504/506/452 भा0द0वि0 थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 03 वारण्टी अभियुक्तों को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. कमलेश गौतम पुत्र अलगू गौतम उम्र करीब 36 वर्ष निवासीगण ग्राम भुसहर, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
2. सुजीत कुमार पुत्र बैजनाथ गौतम उम्र करीब 22 वर्ष निवासीगण ग्राम भुसहर, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
3. मनोज गौतम पुत्र बैजनाथ गौतम उम्र करीब 33 वर्ष निवासीगण ग्राम भुसहर, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 उमाशंकर सिंह, का0 हरिकेश कुमार पाल, का0 अभिषेक यादव, का0 गौरव कुमार, का0 संतोष यादव थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त दिलशाद अहमद गिरफ्तार-

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से प्राप्त पत्र के क्रम में की गई जाँच में पाया गया कि आवेदक/अभियुक्त दिलशाद अहमद द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नाम, माता-पिता के नाम एवं पते में परिवर्तन कर दो अलग-अलग पासपोर्ट बनवाए गए हैं। पासपोर्ट संख्या M0725304 मुंबई (महाराष्ट्र) के पते पर तथा पासपोर्ट संख्या P3984997 ग्राम ताजपुर सरियावां, कुण्डा, प्रतापगढ़ के पते पर जारी कराया गया है, जबकि दोनों में जन्मतिथि समान है। उक्त प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा पर मु0अ0सं0 417/2026 धारा 419/420/467/468/471/474 भा०दं०वि० एवं 12(1)(बी), 12(1)(सी) पासपोर्ट अधिनियम बनाम 01 नामजद के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिव नारायन वैस के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अंकित सिंह व का0 शिवम सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्त एवं रात्रि गश्त/चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-417/26 धारा- 419/420/467/468/471/474 भादवि व 12(1)बी, 12(1) सी पासपोर्ट अधि0 थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 नफर अभियुक्त दिलशाद अहमद पुत्र मोहिद अहमद निवासी ताजपुर सरियावां थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 37 वर्ष को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत धमैयापुर मोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. दिलशाद अहमद पुत्र मोहिद अहमद निवासी ताजपुर सरियावां थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 37 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अंकित सिंह मय हमराह का0 शिवम सिंह, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, अपहृता सकुशल बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त आलोक पटेल को गिरफ्तार कर अपहृता सकुशल बरामद किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में थाना लालगंज के उ0नि0 नन्दलाल मय हमराह का0 आशीष गुप्ता, का0 रवि यादव एवं म0का0 निधि यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित वारण्टी के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त आलोक पटेल पुत्र विजय शंकर निवासी ग्राम कटरा दुग्धा पुरवारा, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 18 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत पूरे गंगाराम मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अपहृता को सकुशल बरामद किया गया।

दिनांक 10.11.2026 को अभियुक्त आलोक पटेल अपहृता को शादी करने के उद्देश्य से अपने साथ लेकर जा रहा था। पुलिस द्वारा की गई तलाश एवं मुखबिर की सूचना पर दोनों को पूरे गंगाराम मोड़ के पास से बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपहृता को शादी करने के उद्देश्य से अपने साथ मुंबई ले जाने की बात बताई गई। विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 87 बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. आलोक पटेल पुत्र विजय शंकर निवासी ग्राम कटरा दुग्धा पुरवारा, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 18 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 नन्दलाल मय हमराह का0 आशीष गुप्ता, का0 रवि यादव एवं म0का0 निधि यादव, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कंधई के उ0नि0 अनूप कुमार यादव मय हमराह का0 राहुल कुमार, का0 पिंटू एवं का0 प्रशांत कुमार द्वारा माननीय न्यायालय FTC-1ST, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट, केस नं0 797/08, मु0अ0सं0 346/07 धारा 323/325/504/506 आईपीसी, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारण्टी अभियुक्त भरत वर्मा पुत्र राम आधार वर्मा, उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी ग्राम चकरामचन्द्रपुर, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त की पत्नी विमला देवी को दी गई तथा अभियुक्त को गिरफ्तारी के आधार एवं सूचना से संबंधित नोटिस तामील कराया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- भरत वर्मा पुत्र राम आधार वर्मा, उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी ग्राम चकरामचन्द्रपुर, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अनूप कुमार यादव मय हमराह का0 राहुल कुमार, का0 पिंटू एवं का0 प्रशांत कुमार, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा गर्भवती महिला के साथ मारपीट एवं गर्भस्थ शिशु की मृत्यु के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

गर्भवती महिला के साथ मारपीट एवं गर्भस्थ शिशु की मृत्यु के मामले में वांछित 01 अभियुक्त परमवीर उर्फ मिथुन गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 10.11.2026 को वादिनी निवासी ग्राम अशोग भिटारी, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ के अनुसार उसके देवर द्वारा गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों, चप्पल एवं डण्डों से मारपीट की गई, जिससे उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो गई। साथ ही शिकायत

करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त संबंध में थाना संग्रामगढ़ पर मु0अ0सं0 220/2026 धारा 92/115 (2)/352/351 (3) बी.एन.एस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री सिद्धार्थ सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अनीश यादव, मय हमराह का0 विजय चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्त एवं रात्रि गश्त/चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 220/2026 धारा 92/115 (2)/352/351 (3) बी.एन.एस थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 नफर अभियुक्त परमवीर उर्फ मिथुन पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम अशोग भिटारी, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. परमवीर उर्फ मिथुन पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम अशोग भिटारी, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अनीश यादव, मय हमराह का0 विजय चौहान थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।